

अनुदान संख्या 90 - जैव प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 90 - DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	2581,00,00	2581,02,00	2121,42,21	-459,59,79
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				388,08,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	16800.00	3033.06	..	-3033.06
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-13767.94			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	237782.00	212575.94	208868.29	-3707.65
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-25207.06			

(I) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण ₹16801.00 लाख (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹16400.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष “2552” – “अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास” के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष “3425” – “अन्य – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास” – ₹18206.10 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के कुल सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹115101.00 लाख के स्वीकृत कुल प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास” – ₹12253.93 लाख की बचत (₹36100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें चालू परियोजनाओं के लिए कम धनराशि तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतों (₹4025.00 लाख) का उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक तौर पर किया गया था जैसा कि मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष “3425” – “अन्य – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – स्वायत्त संस्थाओं को सहायता” के तहत ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1545.32 लाख था।

(I) Provision of ₹16801.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) remained wholly unutilized under two heads; of these ₹16400.00 lakhs alone accounted for under Major Head “2552” - “Other Scientific Research - Assistance to Other Scientific Bodies - Biotechnology Research and Development” - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3425” - “Others - Assistance to Other Scientific Bodies” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Biotechnology Research and Development” - saving of ₹18206.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹115101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023); and

(B) “Industrial and Entrepreneurship Development” - saving of ₹12253.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36100.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards ongoing projects and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly (₹4025.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹ 1.00 lakh in March, 2023 under Major Head “3425” - “Others- Assistance to Other Scientific Bodies - Assistance to Autonomous Institutions”. Actual excess, however, was ₹1545.32 lakhs.